कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर

क्रमांक 1219 दिनांक 21/09/2022

प्रति,

श्री रायल इन्फ्राटेक एवं अन्य तर्फे पार्टनर/डाइरेक्टर
श्री भरत जैन पिता श्री प्रेमचद्र जैन एवं अन्य
खसरा क्रमांक 165/1/2/MIN-3, 165/1/2/3 एवं अन्य
पर स्थित "आईरिस पार्क कालोनी" ब्लाक–सी
(मल्टी डवेलिंग यूनिट) ग्राम तलावली चांदा,
तहसील व जिला इंदौर

विषय :– खसरा क्रमांक 165/1/2/MIN-3, 165/1/2/3 एवं अन्य पर स्थित "आईरिस पार्क कालोनी" ब्लाक–सी (मल्टी डवेलिंग यूनिट) ग्राम तलावली चांदा,तहसील व जिला इंदौर म.प्र. पर (स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत/अधिक निर्माण के अपराधों का प्रशमन)नियम 2016 नविन नियम म.प्र. राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 2021 एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 31 अगस्त 2021के अंतर्गत प्रशमन करने बाबद्।

संदर्भ :– नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका निगम, अधिनियम की धारा 308–क के साथ, सहपठित धारा 433 में संषोधन के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रशमन हेतु प्रस्तुत आवेदन क्रमांक RCPT/IND/0152/2193/2021 दिनांक 31.12.2021 के संदर्भ में

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका निगम, अधिनियम की धारा 308(क) के साथ, सहपठित धारा 433 में संशोधन के अंतर्गत खसरा क्रमांक 165/1/2/MIN-3, 165/1/2/3 एवं अन्य पर स्थित "आईरिस पार्क कालोनी" ब्लाक–सी (मल्टी डवेलिंग यूनिट) ग्राम तलावली चांदा,तहसील व जिला इंदौर म.प्र.पर स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत/अधिक निर्माण का प्रशमन स्वयं ऑनलाईन प्रशमन कराया गया है एवं राशि रू. 9,63,359.00 (अक्षरी रुपये नौ लाख तिरेसठ हज़ार तीन सौ उनसठ) RCPT/IND/0152/2193/2021 दिनांक 31.12.2021 जमा करा कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। गठित दल की रिपोर्ट एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने से इस कार्यालय द्वारा जारी मेमो कमांक 294 दिनांक 15.09.2022 के कम में आपके द्वारा प्रशमन की राशि रूपये 2,85,421.00/–(अक्षरी रुपये दो लाख पचासी हज़ार चार सौ इक्कीस मात्र) **RTGS - CBINR12022091710008559** दिनांक 17.09.2022 तथा कर्मकार कल्याण की राशि 1,92,784.00/ (अक्षरी रुपये एक लाख बानबे हज़ार सात सौ चौरासी) **RTGS - CBINI22260858237** दिनांक 17.09.2022 से जमा किये जाने से निम्न शर्ता के अधीन केवल प्रस्तुत मानचित्र में पीले रंग से दर्शाये कार्य का प्रशमन किया जाता है –

1 मानचित्र में दर्शित पीले रंग से प्रशमन किये गये निर्माण कार्य के अतिरिक्त यदि कोई निर्माण कार्य स्थल पर पाया जाता है तो वह निर्माण प्रशमन से अप्रभावित रहेगा एवं नगर निगम उसे हटाने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

2 तथ्यों को छुपाने, गलत जानकरी देने अथवा विधिक प्रावधानों के उल्लंधन की स्थिति में प्रशमन की अनुज्ञा को रद्द या पुनरक्षित किया जा सकेगा ।

3 निर्माण कार्य पूर्ण होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 प्रावधान अनुसार भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं दखलकारी अनुज्ञा प्रथक से प्राप्त करना होगी ।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– मानचित्र

भवन निरीक्षक,
झोन कमांक –08
नगर पालिक निगम इन्दौर

भवन अधिकारी,
झोन कमांक –08
नगर पालिक निगम इन्दौर

प्रारूप दो

(उपविधि 7 देखिये)

इंदौर नगर पालिक निगम कार्यालय

(जनकार्य विभाग भवन अनुज्ञा शाखा)

294 भ.अ.शा.क्र. दिनांक 15/09/2022

(कंपाउण्डींग फीस मेमो सुचना)

प्रति,

श्री रायल इन्फ्राटेक एवं अन्य तर्फे पार्टनर
श्री भरत जैन पिता श्री प्रेमचन्छ जैन एवं अन्य
खसरा क्रमांक 165/1/2/MIN-3, 165/1/2/3 एवं अन्य पर स्थित
''आईरिस पार्क कालोनी'' ब्लाक–सी (मल्टी डवेलिंग यूनिट)
ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इंदौर

विषय :– आईरिस पार्क कालोनी'' ब्लाक–सी (मल्टी डवेलिंग यूनिट) ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इंदौर का प्रशमन शुल्क जमा करने बबाद

सन्दर्भ :– स्वयं ऑनलाईन प्रशमन के अनुमोदन के संवंध में।
प्रशमन हेतु आपका ऑनलाईन आवेदन क्रमांक RCPT/IND/0152/2193/2021 दिनांक 31.12.2021

आपके आवेदन क्रमांक RCPT/IND/0152/2193/2021 दिनांक 31.12.2021 के सन्दर्भ में आपको एतद द्वारा सूचित किया जाता हे की आप इस सूचना के प्राप्त होने के दिनांक से 07 दिन के भीतर निम्नानुसार राशि जमा करावें :–

- भवन अनुज्ञा – 15,000.00/–
- वाटर हार्वेस्टिंग – 15,957.00/–
- प्लान्टेशन – 11,968.00/–
- आवास शुल्क – 47,870.00/–
- शेष कंपाउंडिंग फीस (13,98,824.00 – 12,04,198.00) – 1,94,626.00/–
- कुल 2,85,421.00/

(अक्षरी रुपये दो लाख पचासी हज़ार चार सौ इक्कीस)

निगम खजानें में 07 दिन की समयावधि में जमा करे और उसके साक्ष्य में फीस जमा करने संबंधी चालान प्रस्तुत करे ।

कर्मकार कल्याण राशी रुपये 1,92,784.00/– (अक्षरी रुपये एक लाख बानबे हज़ार सात सौ चौरासी) की सचिव म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल इंदौर / भोपाल" के खाते में 07 दिन की समयावधि में जमा कर पावती प्रस्तुत करे

यदि ऊपर विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर रकम जमा नहीं की है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम इंदौर